

पत्रांक-332 (२०) /आ०प्र०

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

आर० के० सिंह,
प्रधान सचिव

सेवा में,

सचिव,
भवन निर्माण विभाग,
विशेष जिला पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी,
अररिया, पूर्णियां, सहरसा, मधेपुरा एवं सुपौल।

पटना-15, दिनांक- 22वीं सितम्बर, 2008

विषय: राहत शिविर की व्यवस्था के संबंध में।

महाशय,

सरकार के राहत शिविरों में रह रहे प्रभावित व्यक्तियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। यह परिलक्षित करता है कि सरकार के द्वारा संचालित सरकारी राहत शिविरों की व्यवस्था निरन्तर अच्छी हो रही है। अब यह आवश्यक हो गया है कि शिविरों की क्षमता तुरंत बढ़ाई जाय। तदनुसार विशेष जिला पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग के द्वारा किये जा रहे कार्यों का अनुश्रवण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि G.I. Sheets से बननेवाले semi permanent shelter का निर्माण तुरंत हो। यह पूर्व से ही अनुमति दे दी गई है कि G.I. Sheets से बननेवाले semi permanent shelter की संख्या आवश्यकतानुसार बढ़ाई जा सकती है। यह भी प्रयास हो कि capacity में बढ़ोतरी प्रभावित क्षेत्र के निकट शिविरों में की जाय।

2. यह आदेश दिया गया था कि शिविरों को सेक्टर में बांटकर प्रत्येक सेक्टर के लिए वहां के बासिन्दों की समिति बना दी जाय। प्रत्येक सेक्टर के लिए अलग रसोईघर चलना है जिसका प्रभार उक्त समिति को दी जाएगी। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3. अगले चरण में शिविर के periphery में bank of kitchens बनवा दिया जाय। उसके उपरांत जो परिवार राशन लेकर स्वतः खाना बनाना चाहते हैं उनको इसका option दिया जाएगा। इस प्रकार के bank of kitchens G.I. sheets का उपयोग कर भवन निर्माण विभाग द्वारा बनाया जाएगा।

4. शिविर में रह रहे लोगों के लिए काम का अवसर देना भी आवश्यक है। महिलाओं के लिए self help group तैयार किया जाय। self help group को कुछ राशि advance दी जाएगी एवं उनके द्वारा बनाये गये पापड़, अंदौड़ी, अन्य खाने की सामग्री, चटाई इत्यादि शिविर के लिए क्रय कर लिया जाएगा। self help group को दिया गया advance उनको दिये जा रहे payment से adjust कर लिया जाएगा। महिला प्रसार पदाधिकारी इस कार्य की प्रभारी रहेंगी। आंगनबाड़ी सेविकाएं इसमें सहयोग देंगी।

5. शिविर में रह रहे व्यक्तियों को, जिनको काम करने की इच्छा है, उनको नरेगा तथा शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत कार्य दिया जा सकता है। इस प्रकार के कार्य कैम्प में विकासात्मक कार्य अथवा अन्य निकटवर्ती स्थल पर विकासात्मक कार्य हो सकते हैं।

विश्वासभाजन

arf
(आर० के० सिंह)

प्रधान सचिव